

प्रेषक,

आलोक रंजन,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोण्डा, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुरखीरी, महाराजगंज, मऊ, मुरादाबाद,  
पीलीभीत, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2015

विषय: वर्ष-2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-631/1-10-2014-14(15)/2009, दिनांक 03.07.2014 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राज्य आपदा मोचक निधि में उपलब्ध सीमित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य आपदा मोचक निधि से वर्ष-2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी, उसके कम में द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि दिया जाना अब सम्भव नहीं है। अतः वर्ष 2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु कराये जाने वाला अवशेष कार्य सम्बन्धित विभाग के विभागीय मद से कराया जाय।

2- उक्त के सन्दर्भ में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण आदि ऐसे विभाग जिनका अपना बजट नहीं होता है, के द्वारा अवशेष कार्यों को कराने में कतिपय कठिनाईयां बताई गयी थीं। उक्त तथ्यों को राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति के संज्ञान में लाया गया। समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-933, 1-10-2014-12(65)/12, दिनांक 17.10.2014 द्वारा सम्बन्धित जनपदों यथा-बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोण्डा, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं उन्नाव के जिलाधिकारीगण से यह अवगत कराने का अनुरोध किया गया था कि सम्बन्धित सड़कों किस विभाग की हैं/उन पर स्वामित्व किसका है/रख-रखाव किसके द्वारा किया जा रहा है/इन सड़कों की मरम्मत हेतु अवशेष कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है? क्या ऐसे कार्यों/सड़कों के लिए अवशेष धनराशि की व्यवस्था किसी अन्य मद/विभाग से की जा सकती है आदि बिन्दुओं का परीक्षण कर पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय। शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में मात्र जिलाधिकारी, संत कबीरनगर के पत्र संख्या-563/राहत लिपिक-धनावंटन आपदा/2014-15, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा आंशिक रूप से सूचना दी गयी थी तथा अन्य सम्बन्धित जनपदों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3- उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की दिनांक 30.03.2015 की बैठक में प्रकरण पुनः विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा निर्णित अंश निम्नवत् है :-

"इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि प्रश्नगत कार्य वर्ष 2012 की बाढ़ से सम्बन्धित है। राज्य आपदा मोचक निधि में सीमित धनराशि है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आपदायें निरन्तर घटित हो रही हैं जिसके लिये राज्य आपदा निधि से धनराशि दी जानी है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा केवल डिजिट ( निक्षेप ) कार्य ही कराया जाता है। उक्त के दृष्टिगत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

जिस विभाग के नाम पर डिपॉजिट कार्य करा रहे थे वे उस विभाग को ट्रान्सफर (स्थानान्तरण) करें और वे विभाग उस कार्य को पूर्ण करायें।

राज्य आपदा मोचक निधि से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं धनराशि के सदुपयोग के सम्बन्ध में विशेष सचिव राजस्व द्वारा ( शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2013, दिनांक 23.01.2014 द्वारा विशेष सचिव राजस्व की अध्यक्षता में जॉच दल का गठन किया गया है जिसमें मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग सदस्य के रूप में नामित हैं) द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा के निरीक्षण एवं पायी गयी कमियों की स्थिति से समिति को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

समिति द्वारा जॉच दल के तथ्यों से अवगत होने के पश्चात् यह आदेश प्रदान किये गये थे कि जॉच रिपोर्ट पर जिलाधिकारियों से जो आख्या मांगी गयी है, उक्त कृत कार्यवाही की आख्या तथा पूर्व से जिलाधिकारीगणों से वांछित आख्या/सूचना प्राप्त करके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

4- समिति द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1030/1-10-2014-12(65)/2012, दिनांक 21.04.2015 के द्वारा कार्यों का परीक्षण करते हुये अपेक्षित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित जनपदों द्वारा वांछित विवरण अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है।


5- राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की दिनांक 29.10.2015 की बैठक में यह प्रकरण पुनः विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णित अंश निम्नवत् है :-

राज्य आपदा मोचक निधि में सीमित धनराशि उपलब्ध होने तथा भारत सरकार के नवीनतम मानक के आलोक में भी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि दिया जाना सम्भव न होने के तथ्य का संज्ञान लेते हुये मा0 समिति द्वारा आदेश प्रदान किये गये कि सम्बन्धित जिलाधिकारीगण को यह निर्देशित कर दिया जाय कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवशेष कार्यों जो उनके नहीं होते हैं और मूल विभाग के निक्षेप कार्य (Deposit Work) कराते हैं, उन्हें मूल विभाग को स्थानान्तरित कर दें और वह विभाग उस कार्य को यथावश्यकता पूर्ण कराये। इस आशय का निर्देश सभी सम्बन्धित को दे दिया जाय।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना सम्बन्धी अवशेष कार्यों को यथावश्यकता समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
( आलोक रजन )  
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- प्रमुख सचिव/सहायक सचिव, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पंचायती राज, गन्ना विकास, नगर विकास विभाग, 5090 शासन।
  - 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 5090 शासन।
  - 3- प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, 5090 शासन।
  - 4- वरिष्ठ वित्त एवं प्रशासकीय अधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
  - 5- राजस्व अनुभाग 11/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
( सुरेश चन्द्रा )  
प्रमुख सचिव।